राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामदयाल बनाम रामरतन 877/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 15 लगा. 19 के हक़पूर्वाधिकारी लादूराम व प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 20 भूरा उर्फ़ भंवरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़ व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 03 बिस्वा, 150 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, 195 रकबा 15 बिस्वा, 206 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, 223 रकबा 07 बिस्वा, 224 रकबा 01 बीघा, 232 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 240 रकबा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 200 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 06 बीघा 14 भूमि ग्राम चादना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी पेमाराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12/02/1992 पारित करते हुये खसरा नम्बर 149 व 150 में वादीगण लादूराम पुत्र काशीराम व भूरा उर्फ़ भंवरलाल पुत्र जग्गाराम हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/3 तथा खसरा नम्बर 195 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 7 बदरी, खसरा नम्बर 206 सम्पूर्ण वादीगण को, खसरा नम्बर 232 में 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 , खसरा नम्बर 200 सम्पूर्ण वादी संख्या 1 लादूराम, खसरा नम्बर 223,224 व 240 प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 के हिस्से में रखते हुये निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12/02/1992 के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 22/02/1994 पारित करते हुये अपील स्वीकार की गयी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/02/1994 के विरुद्ध वादीगण द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 14/12/2000 पारित करते हुये अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

प्रतिप्रेषित किया गया कि पुन: साक्ष्य सबूत लेकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान पर विधिअनुसार पुन: निर्णय पारित करे |

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12-2-1992 की अनुपालना में राजस्व भू-अभिलेखों में अंकन किया जा चुका था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 206 के 1/2 हिस्से के खातेदार लादू पुत्र श्री काशीराम व 1/2 हिस्से के भूरा पुत्र जग्गाराम, जाति जाट का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में अंकन हो गया। लादूराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उसकी विरासत का नामांतरकरण उसके दोनों पुत्र रामफूल व गिर्राज के नाम खुला, रामफूल व गिर्राज ने खसरा नम्बर 206 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से अपने 1/2 हिस्से एवं अन्य खसरा नम्बर 179/438 रकबा 3 बीघा में अपने हिस्से 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8-5-2010 के द्वारा अपीलार्थी व प्रारूपिक रेस्पोंडेंट संख्या 21 लगायत 23 को विक्रय कर विक्रय पत्र उप पंजीयक फागी के समक्ष पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 187, पृष्ठ संख्या 79, कम संया 2010000517 तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 553 के पृष्ठ संख्या 138 से 145 पर दिनांक 18-5-2010 को पंजीकृत करा कर कब्जा अपीलार्थी व प्रारूपिक रेस्पोंडेंट संख्या 21 लगायत 23 को संभला दिया जिस पर अपीलार्थी व अन्य सहकृषक विक्रय दिनांक से उपयोग व उपभोग कर काश्त करते चले आ रहे हैं।

रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. दिनांक 28-11-2014 को प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में नियत कर निर्णय दिनांक 05/07/2017 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी आंशिक स्वीकार कर लिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी से हितबद्ध पक्षकार होना स्पष्ट होता है, ऐसेमें अपीलार्थी का अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित होना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इजाजत अपील का अनुतोष प्रदान किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामदयाल बनाम रामरतन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	877/2017	

उचित समझा जाता है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ईजाजत अपील प्रदान की जाती है | चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण नही रहे है, ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी प्रकरण से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्ष है, ऐसेमें अपीलार्थी को पक्षकार समायोजित किये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05/07/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर